न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 11/2018

नत्थूराम पुत्र बालूराम जाति कुम्हार निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

रामस्वरूप पुत्र अन्नाराम जाति कुम्हार निवासी महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 29.11.2017

उपस्थितिः—

श्री कुलवंतसिंह संधू अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री श्री काशीराम रणवां अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय दिनांक 29.05.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. ने एक प्रा.पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के तहत पेश कर चक 4 एच.एच. की मु.नं. 17 के कि.नं. 13/2 से 25 व मु.नं. 18 के कि.नं. 14 से 17 की 16.10 बीघा भूमि में आने जाने के लिए चक 4 एच एच की अप्रार्थी की मु.नं. 17 की कि.नं. 5 व 6 में पूर्वी वट पर पक्के खाले के समान्नतर , मु.नं. 17 के उत्तरी तरफ चल रहे सरकारी रास्ते से लेकर आवेदक की भूमि तक 2—2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रा.पत्र पेश होने पर प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि मु.नं. 17 के कि.नं. 13 से 25 की भूमि प्रार्थी के नाम से नहीं है और न ही उसका कब्जा है। इसलिए वह प्रा.पत्र पेश करने का अधिकारी नहीं है। विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की है। प्रा.पत्र सभी

29/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

खातेदारों द्वारा पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी को मु.नं. 17 के लिए अपनी खातेदारी भूमि पर सुविधाजनक रास्ता है। ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र खारिज किया जावे। अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 29.11.2017 को प्रा.पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी रेस्पों. ने अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि चक 4 एच.एच के मु.नं. 17 के कि.नं. 13 से 25 की 12.10 बीघा, मु.नं. 18 के कि.नं. 14 से 17 की 4 बीघा कुल 16.10 बीघा भूमि उसे अन्नाराम के देहान्त के बाद वसीयत के आधार पर प्राप्त हुई लेकिन मु.नं. 17 व 18 की कुल 8.272है0 भूमि सुगनी आदि के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है। रेस्पों. के नाम से 16.10 बीघा भूमि दर्ज ही नहीं है तो वह रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पों. व अन्य का रकबा चक 4 एच.एच. के मु.नं. 17 व 18 में कुल 8.272है0 में हिस्सा अनुसार स्थित है। मु.नं. 18 के कि.नं. 21, 20, 11, 10, 1 तथा 2 व 3 में से रास्ता गुजरता है। रेस्पों. इसी रास्ता से होकर अपनी भूमि में आता–जाता है। तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 28.07.2015 व दिनांक 14.12.2015 में रेस्पों. के लिए रास्ता उपलब्ध होना बताया है। राज.काश्त.अधि. की धारा 251क में रास्ता उसी स्थिति में स्वीकृत किया जा सकता है जहां रास्ता उपलब्ध न हो। मौजूदा मामला में रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। फिर भी अधी. न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत कर दिया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 2015 आर.आर.डी. 742, 2017 आर.आर.डी. 294, 2013 आर.आर.डी. 835 की नजीरें पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। संयुक्त खातेदारी की भूमि

2/15/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

होने से रास्ता नहीं दिया जा सके ऐसा कोई कानून में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अधी. न्यायालय में प्रा.पत्र पेश करने पर अप्रार्थी ने जबाब पेश किया। तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई गई। इसके अलावा रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में 2 बिस्वा भूमि मुआवजा के रूप में अपीलांट को दिलवाने के आदेश दिये हैं जिससे अपीलांट को हुई क्षति की भरपाई हो गई है। मौके पर इसी रास्ता का प्रयोग किया जा रहा है। अतः अधी. न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुए प्रा. पत्र स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट का मुख्य तर्क है कि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि थी। रेस्पों. को प्रा.पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं था। सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जिसका खण्डन रेस्पों. ने नहीं किया। सभी सह काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाने बाबत भी रेस्पों. ने कोई कथन नहीं किया। इसके अतिरिक्त अधी. न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ सं. ए5/1 पर उपलब्ध तहसीलदा श्रीगंगानगर का पत्र क्रमांक 1457 दिनांक 28.07.2015 में यह अंकित है कि खाता सं. 94 सुगनी पत्नी अन्नाराम के नाम से मु.नं.17 व 18 की 8.272है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें मु.नं. 18 के कि.नं. 1 से 5 व कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृतशुदा रास्ता है। इसी प्रकार तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 14.12.2015 में भी बिन्दु सं. 2 में यह अंकित है कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता के अलावा इसी मु.नं. 18 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 व कि.नं. 1 से 3 में स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि रेस्पों. को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 28.07.2015 व 14.12.2015 से स्पष्ट है कि रेस्पों. को रास्ता उपलब्ध है। राज.काश्त.अधि की धारा 251ए में यह स्पष्ट प्रावधान है कि रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता होने से ही रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है जबकि मौजूदा मामला में रेस्पों. को अपनी भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। अधी. न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार

29/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

द्वारा प्रेषित रिपोर्टों को नजरअन्दाज करते हुए एवं राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के प्रावधानों को ध्यान में रखे बिना ही अधी. न्यायालय ने रास्ता स्वीकृत किया है जो न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2017 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर